

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:- जीसीएमएस नम्बर 2022/370

- 1 रामकिशोर पुत्र हूकमाराम, आयु करीब 49 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बीड की टाणी, नांगल सिरस जिला जयपुर, राज०।
- 2 प्रशान्त कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह, आयु करीब 41 वर्ष, जाति जाट, निवासी मकान नम्बर 73-ए भुनेश्वरी वाटिका, श्री करणी पैलेस रोड, ग्राम पॉच्यावाला, जिला जयपुर, राज०।
—अपीलार्थीगण

बनाम

- 1 अशोक कुमार पुत्र लल्लूराम, जाति जांगिड, निवासी ग्राम राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राज०।
- 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राज०।

—रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थिति:-

- 1 श्री ललित गोविन्दानी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
- 2 श्री मोहन लाल जाट, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से

दिनांक 18.03.2026

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर द्वारा पारित अपीलार्थीगण निर्णय दिनांक 27.09.2021 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 442 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 448 रकबा 0.52 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 484 रकबा 1.10 हैक्टर कुल किता चार कुल रकबा 2.00 हैक्टर की पूर्व खातेदारी श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल पत्नी सुरेन्द्र अग्रवाल हिस्सा 1/4 शिल्पा अग्रवाल पत्नी श्री गजेन्द्र अग्रवाल हिस्सा 1/8 एवं पिकी अग्रवाल पत्नी श्री पवन अग्रवाल हिस्सा 1/8 जाति महाजन से उनके हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि जरिये चार रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों द्वारा दिनांक 14.12.2020 को क्रय कर ली, जो विक्रय पत्रों द्वारा दिनांक 14.12.2020 को क्रय कर ली थी। जो विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजीयक जयपुर षष्ठम के कार्यालय से नियमानुसार पंजीबद्ध है। तत्पश्चात् अपीलान्त के हक में हुये उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर उनके हक में दिनांक 04.01.2021 को नामान्तरकरण संख्या 361 खोला जाकर खसरा नम्बर 442, 443, 448 एवं 484 किता चार रकबा 2.00 हैक्टर में अपीलान्त संख्या 1 रामकिशोर नागा पुत्र हूकमाराम हिस्सा 1/4 एवं अपीलान्त संख्या 2 प्रशान्त कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद कर दिया गया। जिसकी जांच भू अभिलेख निरीक्षक खोराबिसल द्वारा दिनांक 04.01.2021 को कर ली गई। लेकिन नामान्तरकरण में निर्णय होना शेष रह गया। इसी दौरान रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के यहाँ एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि "ग्राम नांगल सिरस में स्थित उक्त खसरा नम्बर 441, 444, 446, 442, 443, 448, 484 कुल किता 7 कुल रकबा 2.57 हैक्टर के पूर्व

P.T.O.

(2)

एवं वर्तमान खातेदारों ने अपने हिस्से की भूमि को खोरा मीणा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जरिये संयोजक श्री अशोक कुमार जांगिड को बेचान कर दिया और उक्त समिति ने खरीदशुदा भूमि पर आवासीय योजना हनुमान नगर-1 के नाम से विकसित कर मौके पर रोड डालकर अपने सदस्यों को आवंटन पत्र भी जारी कर दिया और सदस्यों ने अपने-अपने भूखण्डों पर कब्जा कर रखा है। तत्पश्चात् खातेदारों ने जाल-साजी कर विक्रित भूमि का ही अन्य दीगर व्यक्ति के हित में विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेने के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 04.01.2021 को अपने द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2021 को खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं जो विधि विधान, एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो प्रकरण का ढंग से अवलोकन व मनन किया है अपितु जल्दबाजी में नामान्तरकरण संख्या 361 को खारिज किये जाने में घोर कानूनी त्रुटि की है जबकि स्वयं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 द्वारा ही नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 04.01.2021 अपीलान्त के हक में हुये विक्रय पत्रों के आधार पर नियमानुसार स्वीकार किया गया था। जिसको निरस्त करने के अधिकार तहसीलदार को नहीं रहा है। चूँकि कानूनन एक बार नामान्तरकरण आदेश स्वीकार हो जाने पर उक्त नामान्तरकरण को तहसीलदार द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। यदि पक्षकर को नामान्तरकरण आदेश के विरुद्ध कोई आपत्ति है तो उसे उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध कानून में अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है परन्तु तहसीलदार द्वारा कानूनी प्रक्रिया को ताक में रखते हुये स्वयं के द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 04.01.2021 को स्वयं के द्वारा ही निरस्त कर दिया गया, जो कि कानूनी प्रक्रिया एवं प्रावधानों की सरसर अनदेखी करते हुये अवैधानिक रूप से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुँचाने की नियत से उससे मिलीभगत करते हुये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 361 को निरस्त कर निर्णय दिनांक 29.07.2021 पारित करने में सरासर भयंकर कानूनी त्रुटि की है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा दिनांक 27.09.2021 को पारित निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खातेदार द्वारा उक्त भूमि को पूर्व में ही अशोक कुमार जांगिड पुत्र लल्लूराम जांगिड को जरिये इकरारनामा दिनांक 15.12.2013 व इकरारनामा दिनांक 08.03.2014 के द्वारा विक्रय किया जा चुका है। तत्पश्चात् उक्त भूमि को पुनः रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.12.2020 को अपीलान्त के हक में विक्रय किया गया जिसके सम्बन्ध में ही नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 04.01.2021 को स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने केवल इकरारनामों के आधार मानते हुये ही अपीलान्त का नामान्तरकरण संख्या 361 निरस्त कर दिया जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण मात्र रजिस्टर्ड दस्तावेजों के द्वारा ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालयों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धान्त पारित किया गया है कि अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण केवल रजिस्टर्ड दस्तावेजों के आधार पर ही किया जा सकता है। इकरारनामों के आधार पर अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के कोई अधिकार हासिल नहीं होत है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं एवं न्यायिक निर्णयों को सरासर नजरअन्दाज करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जबकि यदि कोई व्यक्ति किसी अपंजीकृत इकरारनामों के आधार पर अपना कब्जा एवं स्वामित्व क्लेम

P.T.O.

करता है तो उसे सर्वप्रथम सक्षम न्यायालय में इकरारनामों की हपालना हेतु स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत वाद दायर करना चाहिये और उसमें सफल होने के बाद ही वह अमुक अचल सम्पत्ति में अपना वलेम कर सकता है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा दिनांक 27.09.2021 को पारित निर्णय में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि को लेकर अन्य न्यायालयों द्वारा वादग्रस्त भूमि वावत स्थगन आदेश जारी कर रखे है तथा खातेदारों द्वारा एफ. आई.आर भी दर्ज है और प्रकरण को सिविल नेचर का मानते हुये अपीलार्थी के हक में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 04.01.2021 को मनमाने रूप से निरस्त करने का निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को सिविल नेचर का मानते हुए ही उक्त आदेश पारित किया गया है जबकि नामान्तरकरण को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार हासिल है। उन्होने आगे कथन किया है कि भूमि के पूर्व खातेदारान के मुख्यारआम श्री मन्नालाल द्वारा कभी भी खसरा नम्बर 442, 443, 448, 484 के सम्बन्ध में कोई विक्रय इकरारनामा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 या अन्य किसी के पक्ष में कभी निष्पादित नहीं किया गया है। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा जो फर्जी, जाली एवं कूटरचित विक्रय इकरारनामा या अतिरिक्त इकरारनामा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसमें भी खसरा नम्बर 442, 443, 448 के विक्रय किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, ना ही अतिरिक्त विक्रय पत्र या किसी समर्पणनामों में उक्त खसरा नम्बरान को विक्रय किये जाने या समर्पण किये जाने का उल्लेख है और ना ही खोरामीना गृह निर्माण सहकारी समिति को उक्त आराजी विक्रय किये जाने का उल्लेख है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किये बिना ही फौरी तौर पर अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में भयंकर कानूनी त्रुटि की है। इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा एवं अतिरिक्त विक्रय इकरारनामों इस आधार पर भी फर्जी, जाली एवं बनावटी है कि उनमें खसरा नम्बर 484 रकबा 1.10 है० भूमि को क्रय किये जाने का ही उल्लेख है जबकि उक्त खसरा नम्बर में स्थित भूमि अन्य सहखातेदारों के साथ शामिल होती है। जिनमें अन्य खातेदार ओम पुत्र भूरा का अविभाजित 1/8 हिस्सा, नाथू पुत्र भूरा का अविभाजित 1/8 हिस्सा, सोना पुत्र भूरा का अविभाजित 1/8 हिस्सा एवं हावू पुत्र भूरा का अविभाजित 1/8 हिस्सा है जिनके मध्य आज दिन तक भूमि का बाई मीटस एवं बाउण्डस तकासगा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में खातेदार श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल, पिकी अग्रवाल एवं शिल्पा अग्रवाल के मुख्यारआम श्री मन्ना लाल द्वारा किसी तथाकथित विक्रय इकरारनामा द्वारा केवल मात्र खसरा नम्बर 484 की भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तगाम बिन्दुओं की जाँच किये बिना तथा उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना ही प्रकरण का गैर न्यायिक शीघ्रता से निर्धारण करने में घोर लापरवाही एवं अन्याय की है। इसलिए इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2021 निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा दौराने जाँच अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष माननीय न्यायालय अति० सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजि० क्र-17 जयपुर महानगर द्वितीय मुख्यालय चौमूँ द्वारा पारित स्थगन की प्रति पेश की है।

(4)

जिसमें भी खसरा नम्बर 484 के अलावा अन्य खसरा नम्बर 442, 443, एवं 448 के बारे में कोई स्थगन आदेश नहीं है, ना ही उक्त मुकदमें में पक्षकार खोरा मीना गृह निर्माण सहकारी समिति लि० द्वारा उक्त खसरा नम्बरान में कोई भूमि कमी क्रय की है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त खसरा नम्बरान पर भी स्वयं के विवेकाधिकार से स्थगन मानते हुये नामान्तरकरण संख्या 361 ग्राम नांगल सिरस को निरस्त करने में घोर कानूनी त्रुटि की है। इसलिए भी आलोच्य निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। उन्होंने आगे यह भी कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दौराने जांच ना तो अपीलार्थीगण या उसके किसी गवाहान के बयान लेखबद्ध किये है, और ना ही उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया है और ना ही रेस्पोंडेंट संख्या 1 या अन्य किसी के बयान लेखबद्ध किये है। इस प्रकार निर्णय अपीलार्थीगण के अवलोकन मात्र से ही प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि अपीलार्थीगण निर्णय किसी भी सूरत में स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नहीं आता है बल्कि मात्र कयासी फाईन्डिंग पर आधारित है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य मौजूद थे कि अपीलार्थीगण भूमि पर अपीलार्थीगण कब्जा व अधिकार है तथा उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों द्वारा भूमि क्रय की गई है। लेकिन इस महत्वपूर्ण विन्दु को नजरअंदाज करते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पारित किया है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थीगण के हक में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांकित 04.01.2021 को निरस्त किये जाने से अपीलार्थीगण के हकों के साथ गहरा कुठाराघात हुआ है। जिससे अपीलार्थीगण को अपूर्ण क्षति कारित हुई है। जिसकी पूर्ति भविष्य में द्रव्य के रूप में सम्भव नहीं हो सकेगी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण विन्दु पर गौर ना करके व इसे अपने निर्णय में कन्सीडर ना करके निर्णय दिनांक 09.07.2019 पारित करने में घोर कानूनी त्रुटि की है। आधार पर भी आलोच्य निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण को उक्त आलोच्य निर्णय दिनांक 27.09.2021 की जानकारी जब हुई जब वे अपने पूर्व अधिवक्ता के पास उक्त निर्णय की जानकारी लेने गये तब उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18.02.2022 को उक्त निर्णय की जानकारी दी गई और उनके द्वारा निर्णय की नकल निकलवाकर अपीलार्थीगण को दी गई जिसको पढ़ने के बाद अपीलार्थीगण के पूर्व अधिवक्ता द्वारा जानकारी के अभाव में सहवन से सद्भावनावश अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के यहाँ अन्दर मियाद उक्त निर्णय दिनांक 27.09.2021 के विरुद्ध अपील दायर कर दी जो कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा दिनांक 14.06.2022 को क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज फरमा दी गई जबकि न्यायालय अति.जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा सुनवाई हेतु उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रेषित की जा सकती थी। इस प्रकार अपील के निर्णय में लगे समय को मुजरा/अपविर्जत किये जाने के पश्चात् अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया है जो स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील के समस्त तथ्यों के मददेनज अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलार्थीगण आदेश दिनांक 27.09.2021 को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 361 को बहाल किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित किये जावें।

संनानीय
जयपुर

P.T.O.

(5)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि के पूर्व एवं वर्तमान खतोदारों द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नमबर 484 रकबा 1.10 हैक्टर जो बाहमी बंटवारे अनुसार खोरामीना गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर जरिये संयोजक श्री अशोक कुमार जागिड़ को दिनांक 15.12.2013 को बेचान कर समर्पित कर दी गई जिसकी सम्पूर्ण राशि का भुगतान समिति ने खातेदारों को कर दिया है। उक्त खरीदशुदा भूतमि पर आवासीय योजना हनुमान नगर प्रथम के नाम से विकसित कर मौके पर रोड़ डालकर कॉलोनी विकसित की जा चुकी है तथा समिति क्षरा अपने सदस्यों को भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि खातेदारों द्वारा उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट को जरिये इकरानामा बैचान करने के पश्चात् उक्त बैचान की गई भूमि को पुन अपीलान्त को जरिये विक्रय पत्र के आधार पर बैचान कर दी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जरिये संयोजक खोरामीना गृह निर्माण सहकारी समिति न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश क्रम संख्या 10 जयपुर महानगर द्वितीय के समक्ष एक वाद बाबत विशिष्ट अनुपालना इकरारनामा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणा हेतु प्रस्तुत कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पूर्णतः सही पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट के हक में निष्पादित इकरारनामा व अपीलान्त के हक में निष्पादित विक्रय पत्र बाबत सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है तब कि अपीलान्त माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलान्त द्वारा केवल मात्र पूर्व खातेदारों से मिलीभगत करके फर्जी तरीके से केवल मात्र कागजों में विक्रय पत्र तस्दीक करवा लिया गया जबकि मौके पर आज भी कब्जा रेस्पोडेन्ट के पास ही है। कानूनन बिना कब्जे के किया गया बैचान अवैध होता है। इस कारण भी अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के समस्त तथ्यों के आलौक में अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें हैं जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपीलें/प्रार्थना पत्रादि के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 14 व 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए व प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मददेनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 14 व 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि को अपीलार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.12.2020 से क्रय किया गया है। तत्पश्चात् उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 361 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2021 के द्वारा खारिज किया गया है जबकि उक्त

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जयपुर

(6)

नामान्तरकरण भरे जाने की एवं अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने की दिनांक को प्रश्नगत भूमि के विक्रय पत्र के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं रहे है तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 के द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे अपीलार्थीगण के हक में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाना साधित होता हो। ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के आधार पर प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण क्रेतागण के नाम तस्दीक किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आज्ञापक (मंडेटरी) था उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2021 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2021 को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में यदि किसी न्यायालय का स्थगन प्रभावी ना हो, तो अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने की विधि सम्मत कार्यवाही की जाएं। उक्त निर्णय पक्षकारान के मध्य न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 10 चौमू के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 32/2023 खोरा मीना गृह निर्माण सहकारी समिति लि. बनाम मन्नालाल जाट में होने वाले निर्णय के अध्याधीन रहेंगा।



(पूनम)

संभागीय आयुक्त,
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



संभागीय आयुक्त,
संभागीय आयुक्त,
जयपुर